समाहरणालय, सीवान

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 50 मु० / रा0, दिनांक 21.03.2017

प्रेषक,

समाहर्ता,
सीवान।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार पटना।

विषय:- वितीय वर्ष 2017--18 के लिये सीवान जिलान्तर्गत सैरातो के डाक हेतु आम सूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वितीय वर्ष 2017--18 के लिये सीवान जिलान्तर्गत सैरातो के डाक हेतु आम सूचना का प्रकाशन की 5 प्रति (हार्ड कॉपी) के साथ उक्त की सी0डी0 (साफ्ट कॉपी) पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

वितीय वर्ष 2017--18 के लिये सीवान जिलान्तर्गत सैरातो के डाक हेतु आम सूचना विशेष दूत के माध्यम से भेजते हुए अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही शीघ्र आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय दो दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

समाहर्ता,
सीवान।

ज्ञापांक 50 मु० / रा0 दिनांक 21.03.17

प्रतिलिपि:-सभी अंचलाधिकारी, जिला सीवान को डाक सूचना की 5-5 प्रति के साथ वृहद प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि संबंधित सैरात के पूर्व बन्दोबस्तदार से आम सूचना का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन डाक की तिथि के पूर्व अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डाक तिथि एवं समय पर संबंधित अंचल अधिकारी स्वयं अपने नाजीर के साथ डाक में उपस्थित रहेंगे।

प्रतिलिपि-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सीवान को डाक सूचना की 5-5 प्रति के साथ व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश है कि स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर [illegible] की कतरन जिला राजस्व शाखा, सीवान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-अनुमंडल पदाधिकारी/उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सीवान सदर/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/वैशाली/शिवहर/छपरा/गोपालगंज/पू0 चंपारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि सभी संबंधित को ई-मेल के माध्यम से आम सूचना की प्रति प्रेषित करते हुए जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि-आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा/तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहरणालय, सीवान

(जिला राजस्व शाखा)

सैरात बन्दोबस्ती हेतु डाक सूचना

एतद द्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सीवान जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये निम्नांकित सैरातों की बन्दोबस्ती खुले डाक से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 28-03-17 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपर समाहर्ता, सीवान के कार्यालय प्रकोष्ट में किया जायेगा। उक्त तिथि को किसी कारणवश डाक नही होने अथवा किसी सैरात विशेष के लिये कोई डाकवक्ता के उपरिथति नही होने की स्थिति में पुनः दिनांक 29-03-17 एवं दिनांक 30-03-17 को डाक किया जायेगा।

क्र0 सं0	अनुमण्डल का नाम	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा	अग्रधन की राशि
1	2	3	4	5	6
1	सीवान सदर	सिसवन	मेहन्दार मेला झगड़ालु	399625.00	39962.00
2			चैनपुर बाजार	59800.00	5980.00
3		रघुनाथपुर	नरहन घाट	172592.00	17259.00
4			रघुनाथपुर बाजार	194672.00	19467.00
5			खुजवॉ बाजार	51060.00	5106.00
6		आन्दर	पतार बाजार	140300.00	14030.00
7			आन्दर बाजार	230000.00	23000.00
8			असॉव बाजार	95450.00	9545.00
9		हुसैनगंज	हुसैनगंज बाजार	116150.00	11615.00
10			बडरम बाजार	81650.00	8165.00
11		जिरादेई	शिवपुर सकरा	53561.00	5356.00
12		नवतन	नवतन बाजार	299575.00	23957.00
13		गुठनी	गुठनी बाजार	235871.00	23587.00
14			सोहगरा बाजार	137714.00	13771.00
15		दरौली	दरौली बाजार	258519.00	25851.00
16			दोन बाजार	132365.00	13236.00
17		हसनपुरा	अरण्डा बाजार	101545.00	10154.00
18			हसनपुरा बाजार	80500.00	8050.00
19		पचरूखी	पचरूखी बाजार	139150.00	13915.00
20		बड़हरिया	दीनदयालपुर बाजार	80500.00	8050.00
21			करबला बाजार	77050.00	7705.00
22			बहादुरपुर बाजार	71300.00	7130.00
23	महाराजगंज	दरौंदा	पिपरा हाट बाजार	155710.00	15571.00
24		लकडीनवीगंज	मदारपुर बाजार	53360.00	5336.00
25			ख्वासपुर बाजार	55016.00	5501.00
26		भगवानपुरहाट	सकरी बाजार	58305.00	5830.00

बन्दोबस्ती लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है। डाक में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति संबंधित अंचल/थाना से अपना आचरण एवं पूर्ववृत संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पूर्व के बन्दोबस्तदार द्वारा अबकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हे डाक मे भाग नही लेने से बंचित कर दिया जायेगा। सुरक्षित जमा का 10% अग्रधन के रूप में जमा

Sanjay kumar Yadav

Letter Sairat 73

करने के पश्चात ही डाक मे भाग ले सकते है। सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के बाद उसी समय पूरी राशि एक ही किस्त मे जमा करनी होगी। सफल डाकवक्ता को पूरे डाक की राशि पर 5 प्रतिशत निबंधन शुल्क एवं 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की राशि अतिरिक्त देय होगी।

सैरातों की बन्दोबस्ती उच्चतम डाकवक्ता के साथ सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर स्वीकृत की जाएगी। सफल डाकवक्ता को बन्दोबस्ती का एकरारनामा अपने व्यय पर निबंधित कराना हागी। बन्दोबस्तीदार सरकारी दर पर कौडी वसूल करेंगे। डाक में भाग लेनेवाले व्यक्ति का मानसिंक, समाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर सरसरी तौर पर विचार किया जाएगा, ताकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रश्रय नहीं मिल सकें घाट के मामले में बनेबस्तीदार को प्रयोग में लाई जानेवाली नाव ठीक एवं दुरूस्त रखनी होगी। आकस्मिक घटना की संभावना न रहे इस ख्याल से प्रत्येक किस्म के नाव के लिए निर्धारित भार क्षमता से अधिक वजन का यातायात नहीं करना होगा। पंचायत/प्रा0कृ0 साख सहयोग समिति/नाविक यातायात समिति के साथ बन्दोबस्ती हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियमानुकूल विचार किया जा सकता है।

बिना कोई कारण बताये डाक को रद्द करने का अधिकार डाककर्त्ता को होगा। उच्चतम डाकवक्ता के द्वारा डाक की राशि एक मुश्त जमा नहीं करने पर उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा द्वितीय उच्चतम डाक की राशि बोलने वाले के साथ एक मुश्त राशि जमा करने पर बंदोबस्त की जायेगी।

21/2/17

समाहर्त्ता,
सीवान।